

FORM-1

(For Linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Rudraprayag

NO. 045

Dated: 19/07/2018.

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.5205** hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **Indian Railways** (name of user agency) for **"Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link Between Rishikesh and Karanprayag in the state of Uttarakhand"** (purpose for diversion of forest land) in district Rudraprayag falls within Village Punad under jurisdiction of Nagar Palika Prishad Rudraprayga.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.5205 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Nagar Palika Prishad(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level committee are enclosed as Annexure- to Annexure-
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Nagar Palika Prishad have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.

Encs: As above.

(Shri Mangesh Ghildiyal)

District Collector

Rudraprayag.

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

Format-23.3

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

District- Rudraprayag (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the district level committee consituted under Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of District **Rudraprayag** (Uttarakhand), constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri Mangesh Ghildiyal (IAS), District Magistrate, Rudraprayag on date...19/07/2018 at **Rudraprayag** in which the application claiming rights in villages Punad under jurisdiction of Nagar Palika Prishad Rudraprayag area measuring 1.5205 hectares for **“Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link Between Rishikesh and Karanprayag in the state of Uttarakhand”** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Rudraprayag tehsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the document and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Place.....

Dated.....

Rudraprayag.
19/07/2018.

(Shri Mangesh Ghildiyal)


District Magistrate, Rudraprayag,
cum


Chairman District Level Committee


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग


It is further certified that – Minutes of meeting of “Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karanprayag in the state of Uttarakhand” regarding FRA is as Following:-

S.NO.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for entire 1.5205 hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of Forest Rights committee(s), Sub Division level Committee(s).	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and Nagar Palika parishad have given consent to it.	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned Nagar Palika Parishad regarding construction of aforesaid Railway line is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal groups and Pre-Agricultural Communities.	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribe and Other Traditional Forest Dwellers.


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला सभाज कल्याण अधिकारी
रुद्रप्रयाग


हरीश लाल
सदस्य
जिला पंचायत रतूडा

परियोजना का नाम :-

उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रुद्रप्रयाग।

उपखण्ड रुद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड राज्य के 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण" हेतु 1.5205 है० आरक्षित वन भूमि एवं 0.000 है० सिविल सोयम भूमि 0.000 है० वन पंचायत भूमि अर्थात् हुल 1.5205 है० वन भूमि का भारतीय रेल (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील रुद्रप्रयाग की 23.06.18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवानन्द, उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1. श्री देवानन्द | उप जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4. श्री | अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद | सदस्य |

उपखण्ड स्तरीय समिति के सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के उपखण्ड रुद्रप्रयाग में "उत्तराखण्ड राज्य के 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण" परियोजना हेतु 1.5205 है० भूमि का भारतीय रेल (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित नगर पालिका परिषद सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग श्री द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रुद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड राज्य के 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण" परियोजना हेतु 1.5205 है० वन भूमि भारतीय रेल (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग।

उप प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र-23

परियोजनाका नाम :-उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

वार्ड का नाम -पुनाड़, (जवाड़ी बाईपास) तहसील- रुद्रप्रयाग, जिला-रुद्रप्रयाग ।


अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.5205 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे० सिविल सोयम भूमि 0.000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.5205 हे० वन भूमि का भारतीय रेल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्तप्रकरण के विषय में नगर पालिका रुद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 27-06-2018 को सम्पन्न वार्ड पुनाड़ (जवाड़ी बाईपास) में प्रशासक, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी एवं जिसमें प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा/कृषिकार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि परग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन ही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त पुनाड़ (जवाड़ी बाईपास) /प्रशासक, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-पुनाड़ (जवाड़ी बाईपास) के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि भारतीय रेलप्रयोक्ता एजेन्सी का परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


प्रशासक
नगर पालिका परिषद,
रुद्रप्रयाग ।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 27-05-18 को ग्राम पंचायत की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

पुनाड (जवाडी बाईपास)

क्रमांक	ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	उपजिलाधिकारी इन्द्रप्रकाश	
2	मनीष अस्वाल स.स. पुनाड	
(3)	रामजाल चौधरी	
(4)	गणेश दत्त	
(5)	जिवान सिंह	

अधिसूची अधिकारी
नाम अधिसूची अधिकारी
रूपपयाग
27/05/2018